निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 97/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. कुमारी निशा मीणा पुत्री गोपाल मीणा जाति मीणा निवासी 565, बापू कच्ची बस्ती जेडीए अफिस के पास विद्याधर नगर, जयपुर राजस्थान जरिये प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती उगन्ती मीणा धर्मपत्नी श्री मक्खन लाल मीणा जाति मीणा निवासी 565, बापू कच्ची बस्ती, जेडीए अफिस के पास, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार नायक आर ए एस
2. जगदीश पुत्र मोटा जाति मीणा निवासी कैलाश उर्फ कोकावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
3. गोपाल मीणा पुत्र श्री जगदीश मीणा जाति मीणा निवासी कैलाश उर्फ कोकावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 व 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 31/2021 ब उनवानी कुमारी निशा मीणा बनाम जगदीश मीणा व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर जिला

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश कुमार अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से है।

निर्णय दिनांक 09.09.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 31/2021 ब उनवानी कुमारी निशा मीणा बनाम जगदीश मीणा व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण 2 व 3 वादग्रस्त सम्पत्ति को अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है तथा उक्त वाद ग्रस्त सम्पति को कृषि से अकृषि परिवर्तित कर निर्माण कार्य करने पर आमदा है जिससे अप्रार्थीगण सं॰ 2 व 3 व अन्य व्यक्तियों से नाजायज सांठगांठ व मिलीभगत कर अधीनस्थ न्यायालय को अपने प्रभाव में लेकर उक्त प्रकरण का निस्तारण अपने पक्ष में करने पर अपूर्णतया आमादा है जिससे उक्त प्रकरण में नजदीकी तारीख 2–2 दिन की दी जाकर उक्त जारी स्थगन आदेश को निरस्त करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया को एलानिया धमकी दी है कि उनकी पहुंच अच्छे उच्च अधिकारियों से है तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उनके मिलने वाले है जिससे वह उक्त स्थगन आदेश को आगामी पेशी पर खारिज करवा देंगे। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते भी देखा है जिससे प्रार्थिया को पूर्ण अन्देशा हो गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के पक्ष में उक्त प्रकरण का निर्णय करने पर आमादा है। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी का व्यवहार व उनके द्वारा शीघ्र फैसला करने के तथ्यों से प्रार्थिया को ऐसा अन्देशा हो रहा है कि पीठासीन अधिकारी प्रतिवादीगण से मिल गये है और प्रकरण में प्रार्थिया को न्याय मिलने की कतई सम्भावना नही रही है। प्राकृतिक न्याय का यही सु स्थापित सिद्वान्त है कि न्याय होना ही नहीं चाहिये बल्कि न्याय दिखना भी चाहिये । इस कारण उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में अन्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः न्यायहित में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है। इसलिए स्थगन की आड में प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करने की नियत से मिथ्या कथन अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से उक्त प्रकरण में एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है और प्रार्थी ने ही पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति में शंका जाहिर कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशी दिये जाने का आरोप लगाया है। इससे प्रार्थी के कथन को बल नहीं मिलता है। प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करने का मूल उद्वेश्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी स्थगन आदेश को येनकेन प्रकारेण यथावत रखना पाया गया है जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के विपरीत है। फलस्वरूप मुन्तकिलन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करें।

जिला कलक्टर
जयपुर

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हरब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

9/9/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर